आमेलित क्षेत्र (विधि) अधिनियम, 1954

(1954 का अधिनियम संख्यांक 20)

[30 अप्रैल, 1954]

कतिपय विधियों का उन क्षेत्रों में, जो कि संविधान के प्रारम्भ के पूर्व अपवर्जित या अंशत: अपवर्जित क्षेत्र के रूप में प्रशासित थे और जो ऐसे प्रारम्भ पर कतिपय राज्यों में आमेलित किए गए थे, विस्तार करने के लिए अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आमेलित क्षेत्र (विधि) अधिनियम, 1954 है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) आमेलित क्षेत्र के संबंध में "आमेलक राज्यों" से वह राज्य अभिप्रेत है जिसका उल्लेख उस अनुसूची के शीर्षक में किया गया है जिसमें वह आमेलित क्षेत्र विनिर्दिष्ट है;

(ख) "आमेलित क्षेत्र" से अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है ।

3. विधि का विस्तार—अनुसूचियों में से प्रत्येक के स्तम्भ संख्या 1 में विनिर्दिष्ट अधिनियम और तद्धीन बनाए गए समस्त नियम, अधिसूचनाएं, आदेश, स्कीमों, प्ररूपों और उपविधियों का, जो कि उस अनुसूची के शीर्षक में विनिर्दिष्ट आमेलक राज्य में प्रवृत्त हैं, उस अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट आमेलित क्षेत्रों में एतद्द्वारा विस्तार किया जाता है और वे उसमें प्रवृत्त रहेंगे ।

अनुसूचियां

(धारा 2 और 3 देखिए)

अनुसूची 1

बिहार

अधिनियम का नाम	**आमेलित क्षेत्र**
(1)	(2)
अधिगृहीत भूमि (प्रतिकर प्रभाजन) अधिनियम, 1949 (1949 का 51)	1. हजारी बाग और मानभूम जिले 2. पालामउ जिले का सदन उपखंड 3. सिंगभूम जिले का ढलभूम उपखंड 4. संथाल परगना जिले के गोडा और देवगढ़ उपखंड ।

अनुसूची 2

मुम्बई

अधिनियम का नाम	**आमेलित क्षेत्र**
(1)	(2)
1. भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1903 (1903 का 15)	1. पश्चिमी खानदेश जिले के शाहदा, नंडरबार और तालेडा तालुके ।
2. कोड़ा लगाने संबंधी अधिनियम, 1909 (1909 का 4)	2. पंचमहल जिले के दोहक तालुका और जालोढ़ महल ।
3. पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, 1922 (1922 का 22)	
4. कपास परिवहन अधिनियम, 1923 (1923 का 3)	

5. पत्तन हज समिति अधिनियम, 1932 (1932 का 20)

6. सागर दिशा तोप अभ्यास अधिनियम, 1949 (1949 का 8)

अनुसूची 3

उड़ीसा

अधिनियम का नाम	आमेलित क्षेत्र
(1)	(2)
1. धातु टोकन अधिनियम, 1889 (1889 का 1)	अंगुल ।
2. सफेद फासफोरस की दियासिलाई प्रतिषेध अधिनियम, 1913 (1913 का 5)	
3. भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, 1922 (1922 का 7)	
4. कोयला श्रेणीकरण बोर्ड अधिनियम, 1925 (1925 का 31)	
5. कोयला खान भविष्य-निधि तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46)	

अनुसूची 4

उत्तर प्रदेश

अधिनियम का नाम	आमेलित क्षेत्र
(1)	(2)
1. भारतीय पावर अल्कोहल अधिनियम, 1941 (1941 का 22)	देहरादून जिले में जौनसार बाबर परगना और मिर्जापुर जिले में कैमूर श्रेणी के दक्षिणी क्षेत्र ।
2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34)	

अनुसूची 5

पश्चिमी बंगाल

अधिनियम का नाम	आमेलित क्षेत्र
(1)	(2)
1. अधिगृहीत भूमि (प्रतिकर प्रभाजन) अधिनियम, 1949 (1949 का 51)	दार्जिलिंग जिला
2. पश्चिमी बंगाल कच्चा जूट वायदा अधिनियम, 1948 (पश्चिमी बंगाल 1948 का अधिनियम संख्या 25)	

———